Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Jamabandi Cancellation Revision Case No.- 78 /2019]

Shivnandan Yadav .....Appellant

Versus

The State of Bihar.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action take with date
1	2	3	4
	01-07-2025	**आदेश** यह जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद न्यायालय, समाहर्त्ता, मधेपुरा के जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद सं0-03/2014 (शिवनन्दन यादव बनाम राज्य एवं अन्य) में दिनांक-30.09.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि का ब्यौरा निम्नवत है-	

मौजा	थाना	जमाबंदी नं0	खाता (पुराना)	खेसरा (पुराना)	रकवा
मधेपुरा	61	2230	329	4950	35 डी0

दिनांक-14.06.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का अभिकथन Reply/ Rejoinder में अंकित है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा कागजातों/LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि सर्वे खतियान के अनुसार प्रश्नगत जमीन गैर मजरूआ आम/खास अनावाद सर्व साधारण बिहार सरकार के रूप में दर्ज रहा है। उपस्थापित कागजातों के आधार पर यह स्थापित होता है कि उक्त सरकारी जमीन का Petitioner द्वारा नामांतरण वाद संख्या-772/1996-97 के द्वारा जमाबंदी संख्या-2230 कायम करा लिया गया है। Petitioner का यह दावा कि प्रश्नगत जमीन उनकी खरीदगी जमीन है, मान्य नहीं किया जा सकता है, चूँकि सरकारी जमीन का क्रय-विक्रय विधिमान्य नहीं है। Petitioner का यह भी कहना है कि सर्वे खतियान में गलत रूप से प्रश्नगत जमीन को गैर मजरूआ आम/खास अनावाद बिहार सरकार दर्ज किया गया। किन्तु इस संबंध में सक्षम सर्वे अपील न्यायालय का कोई आदेश/कागजात उपस्थापित नहीं किया जा सका है। इस वाद का Issue in question यह है कि मौजा-मधेपुरा जमाबंदी संख्या-2230 वैध है अथवा नहीं। उक्त जमाबंदी अंचल कार्यालय, मधेपुरा के दाखिल खारिज वाद संख्या-772/1996-97 से सृजित है जिसे निम्न न्यायालय के स्तर से सर्वे खतियान में सरकारी जमीन अंकित रहने के आधार पर रद्द किया गया है। Petitioner की ओर से प्रश्नगत जमीन के निजी रैयती होने का कोई संगत साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। Petitioner की ओर से Title Suit संख्या-156/1996 में पारित आदेश

	01-07-2025	दिनांक-30.06.98 को अपने पक्ष में संदर्भित किया गया है। इस संबंध में अभिलेख में रक्षित विद्वान सरकारी अधिवक्ता, सहरसा की ओर से दाखिल मंतव्य में अंकित है कि विवादी भूमि पुराना खाता 329, पुराना खेसरा 4950 अंदर पुराना सर्वे खतियान गैर मजरूआ भूमि रहता आया वो किस्म जमीन डगर (रास्ता) रहता आया जो पुराना सर्वे खतियान में दर्ज है वो हाल सर्वे में उस पुराना खेसरा 4950 से बने नया खेसरा 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800 हाल सर्वे खतियान में किस्म जमीन रास्ता दर्ज है वो खाता नाम से अनावाद सर्व साधारण दर्ज है जिससे स्पष्ट होता है कि पुराना सर्वे के समय से हाल सर्वे 1965 में जो शुरू हुई जमीन का स्वरूप रास्ता के रूप में रहता आया वो सर्व साधारण की चीज है जिसे भूतपूर्व मालिक जमीन्दार को बंदोवस्त करने का अधिकार नहीं था। यह भी स्पष्ट है कि जमीन्दारी के समय वो जमीन्दारी समाप्त होने के बाद अपीलार्थी के विक्रेता या उनके पिता के नाम से ना कोई मालगुजारी रसीद आता है ना कोई रिटर्न दाखिल हुआ है जिससे भी बंदोवस्ती का दावा गलत प्रतीत होता है। लेकिन टी0एस0 केस नम्बर 156/1996 में पारित आदेश एवं डिक्री न्यायालय मुंसीफ, मधेपुरा के विरूद्ध बिहार सरकार के तरफ से उस एक पक्षीय डिक्री को तोड़ने के लिए उस न्यायालय में मुकदमा अंदर आर्डर 9 रूल 13 सी0पी0सी0 या उस जजमेंट डिक्री का अपील दायर किया जाना चाहिए। अतः निम्न न्यायालय द्वारा जो अपीलार्थी के नाम से जमाबंदी नम्बर 2230 इधर कायम करवाई गई है वह संदेहास्मक एवं गलत पाया गया है। उपरोक्त Legal Opinion के आलोक में समाहर्त्ता, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि Title Suit संख्या-156/1996 में पारित Ex parte आदेश के विरूद्ध Order IX Rule 13 of CPC के तहत Petition File करते हुए वाद को Restore करावें। तथा प्रश्नगत भूमि के राजस्व अभिलेख/खतियान के अनुसार गैर मजरूआ आम/खास अनावाद सर्व साधारण बिहार सरकार दर्ज रहने तथा जमीन का सार्वजनिक रास्ता का होने के संदर्भ में सभी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए विधिसम्मत आदेश हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। उपरोक्त आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। LCR के साथ आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। Ruck. 01/7/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। Ruck. 01/7/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा